



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक- 7 स्था0 (3) प0 स0-14/2023.....

दिनांक-/2025

“आदेश”

पशुपालन निदेशालय अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों/पदों के विरुद्ध अस्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित वर्ग-3 (लिपिक संवर्ग एवं पशुधन सहायक संवर्ग) के कर्मियों की सेवा उनके द्वारा सेवा सम्पुष्टि से संबंधित आवश्यक अहर्ताओं को पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से संपुष्ट की जाती है-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री चंद्रनारायण राम, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक, जिला पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर।	01.02.1943 31.01.2001	11.09.1961 निम्न वर्गीय लिपिक	28.12.1978
2	श्री भोलानाथ बैठा, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक जिला पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ।	01.07.1944 30.06.2002	11.12.1963 निम्न वर्गीय लिपिक	31.10.1994
3	श्रीमती ज्योति कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना।	01.08.1989 31.07.2049	19.08.2017 निम्न वर्गीय लिपिक	24.01.2020
4	श्री नरेन्द्र प्रसाद, पशुधन सहायक, अवर प्रमण्डल पशुपालन कार्यालय, सदर, गया।	05.08.1974 31.08.2034	01.09.2001 पशुधन सहायक	16.01.2017

2. इस सेवा सम्पुष्टि के फलस्वरूप किसी भी कर्मों की वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

3. उपर्युक्त किसी भी कर्मों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर/किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में संबंधित कर्मों की सेवा-सम्पुष्टि को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप प्राप्त किसी भी वित्तीय लाभ की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।



बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



4. कर्मियों के संबंध में प्रस्ताव भेजने वाले कार्यालय का नाम (जहाँ उक्त कर्मी तत्समय पदस्थापित थे) इस विवरणी के स्तम्भ 2 में अंकित है। ऐसे कर्मी जिनका सम्प्रति स्थानान्तरण किसी अन्य कार्यालय में हो गया है, उनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई वर्तमान कार्यालय प्रधान द्वारा की जायेगी। इस संबंध में अलग से शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने स्तर से सभी संबंधित कर्मियों को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराते हुए इनकी सेवा पुस्त में आदेश की प्रविष्टि निश्चित रूप से करेंगे।

इसमें निदेशक, पशुपालन का अनुमोदन प्राप्त है।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाये।

ह0/-

(डॉ० अरविन्द कुमार)

संयुक्त निदेशक (मु०)।

ज्ञापांक- 7 स्था० (3) प० स० -14/2023 1907 (नि०)

दिनांक- 21/05/2025

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/मगध क्षेत्र, गया/पूर्णिमा क्षेत्र, पूर्णिमा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पूर्णिमा/गया/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी सदर, गया/सभी कार्यालय प्रधान को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (मु०), पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना /विभागीय आईटी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना क आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु०)।